आईटीएम ग्लोबल स्कूल में 'भित्तिचित्र' का अनावरण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 13 अप्रैल. आईटीएम ग्लोबल स्कूल ग्वालियर के कबीर प्रखंड में 103 फुट लंबी दीवार पर सन् 1857 से 1961 तक की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महागाथा को दर्शाता हुआ देश का पहला 80 फुट लंबा 'भित्तिचित्र' (म्यूरल) का अनावरण समारोह पूर्वक हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में 101 वर्षीय पंडित श्री रामकिशन जी (स्वतंत्रता संग्राम सेना, समता एवं लोकतंत्ररक्षा के सिपाही और पूर्व लोकसभा सदस्य, विधायक), नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबुराम भट्टराई एवं उनकी पत्नी हिसिला यामी शामिल हुईं। विशिष्ट अतिथि के रूप समाजवादी इतिहास अध्येता प्रोफेसर राजकुमार जैन,

पूर्व सांसद केसी त्यागी, कलाकार विनय अम्बर, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के फाउंडर चांसलर श्री रमाशंकर सिंह जी, चांसलर श्रीमती रूचि सिंह, प्रो-चांसलर डॉ. दौलत सिंह चौहान शामिल हुए। इस अवसर पर आईटीएम ग्लोबल स्कूल ग्वालियर की सीएओ रेनु अग्रवाल, प्रिंसिपल गीता एस., डीन अनीता मित्तल सहित स्कूल के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के प्रो-चांसलर डॉ. दौलत सिंह चौहान ने उपस्थित छात्र-छात्राओं से कहा कि आजाद भारत में आज हम स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, इसके लिए कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया है। स्वतंत्रता के लिए जेल गए, बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया है। आज म्यूरल अनावरण हुआ है। इस म्यूरल का मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्र-छात्राएं और युवा भारतीय इतिहास को न सिर्फ पढ़कर बल्कि इन भित्तिचित्रों के माध्यम से तथ्यों के साथ आसानी से समझ सकें।

समारोह में मुख्य अतिथि 101 वर्षीय पंडित श्री रामकिशन जी (स्वतंत्रता संग्राम सेना, समता एवं लोकतंत्ररक्षा के सिपाही और पूर्व लोकसभा सदस्य, विधायक) ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास को केबल किताबों में पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसकी सीख वर्तमान में जीकर आती है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबुराम भट्टराई ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों और युवाओं को इतिहास को समझना चाहिए और नये इतिहास को गढ़ने का काम करना चाहिए। वहीं पूर्व सांसद केसी त्यागी ने कहा कि आईटीएम ग्लोबल स्कूल की दीवार पर यह इतिहास की शौर्य गाथा का अद्भुत वर्णन किया गया है। कबीर प्रखंड में 103 फुट लंबी दीवार पर 80 फुट लंबा भित्तिचित्र (म्यूरल) तैयार होने में तीन साल का समय लगा। जिसे मुख्य कलाकार विनय अम्बर, सह-कलाकारों में योगेश के. प्रजापति, स्पप्न सागर, विष्णु प्रजापति, आंचल सलूजा और समन्वयक डॉ. सुप्रिया अम्बर द्वारा तैयार किया गया।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पति क्षेत्र क्रमांक 16 वार्ड क्रमांक 35 भवन क्रमांक ...व स्थान-फालका बाजार में स्थित है जो कि श्री मोहनलाल/विशम्भर दयाल/ विशम्भर दयाल/ केदारनाथ, रचना/मोहनलाल के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000240876 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 316 वर्गफुट है. उक्त सम्पति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602018ए1016486 दिनांक 10/01/2018 द्वारा क्रय/उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पतिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज पर दिनांक 13/4/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 81/2010/38964/61154 प्र.क्र ....*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पतिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 13-4-2026

आवेदक का नाम/पता/मो .नं.

चरनजीत सिंह जुनेजा/ गोविन्द लाल जुनेजा, पारुल जुनेजा/चरनजीत सिंह जुनेजा

पता-फालक बाजार ग्वालियर म .प्र. मो .9425120086

नाम परिवर्तन सूचना

में **SHIVDULARI** पत्नी SAHJAD SINGH Army No. 20273 उम्र 88 निवासी बिजपुरी, पोस्ट- लावन, तहसील-भिण्ड, जिला भिण्ड म.प्र. सूचित करती हूं कि मेरा वास्तविक नाम **SHIVDULARI** है जबकी मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम **SHEODULARI** दर्ज है जोकि गलत है जबकि मेरे आधार अनुसार मेरा सही नाम **SHIVDULARI** है अतः मेरे पति के सर्विस रेकॉर्ड मे मेरा नाम **SHIVDULARI एवं जन्म दिनांक 01/01/1938** दर्ज किया जाए। सर्वसाधारण सूचित हो

आम सूचना

सर्व साधारण को मेरी पक्षकारा श्रीमती रूपा देवी पत्नी फूलचन्द वर्मा, निवासी- पदिया वाला मोहल्ला, हीरामन बाबा मंदिर के पीछे, गली में सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. के द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरा बड़ा पुत्र नवीन वर्मा जाति लखेरा जो अपनी पत्नी ऊषा वर्मा के साथ शादी के कुछ समय बाद से ही मेरे घर से कुछ ही दूरी पर किराये के घर में निवास करते हैं। मेरे बेटे और बहू द्वारा मुझे व मेरे पति को खानपान एवं दवाई के लिये खर्चा नहीं दिया जाता है तथा न ही हमारी व हमारे बच्चों की कोई देखरेख की जाती है उल्टा जरूरत पड़ने पर हमें परेशान ही किया जाता है जिससे हमें मानसिक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मेरी पक्षकारा द्वारा अपने पुत्र नवीन वर्मा व पुत्रवधू को अपने घर एवं अपनी चल-अचल सम्पति से बेदखल कर सभी रिश्ते खत्म कर दिये हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति नवीन वर्मा से किसी भी प्रकार का संव्यवहार या लेनदेन करता है तब अपनी जोखिम पर करे। मेरा अपने पुत्र नवीन वर्मा और उसकी पत्नी ऊषा वर्मा से कोई रिश्ता नहीं है। सो सूचित हों।

दिनांक : 10 .04 .2026

श्रीमती रूपा देवी पत्नी श्री फूलचन्द वर्मा द्वारा अभिभाषक गौरव सिंह घनघौरिया मो .नं .8602528818

लोक लेखा समिति की बैठक आयोजित

ग्वालियर 3 अप्रैल. लोक लेखा समिति की बैठक आज सोमवार को समिति के अध्यक्ष अनिल सांखला की अध्यक्षता में नगर निगम, मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य मनोज राजपूत, महेन्द्र आर्य, श्रीमती चांदनी जंगबहादुर, श्रीमती ममता अरविन्द शर्मा, श्रीमती अनीता रामू कुशवाह एवं अपर आयुक्त वित्त श्रीमती रजनी शुक्ला उपस्थित रहीं। बैठक में लेखा अधिकारी एवं अपर आयुक्त वित्त श्रीमती रजनी शुक्ला से 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक किए गए भुगतानों की जानकारी मांगी गई।

CHANGE Of NAME

1, **MAHENDRA SINGH GURJAR** S/O **KOK SINGH GURJAR**, R/O Tyagi Nagar, Morar, Gird, Gwalior, Madhya Pradesh-474006, have changed the name of my minor son ANSHU GURJAR aged 14 years and he shall hereafter be known as ANSHUL GURJAR.

MAHENDRA SINGH GURJAR
(Signature of Guardian)
Tyagi Nagar, Morar, Gird, Gwalior (M. P.)
Adhar No. 3034 3971 4991
Mob. No. 7909498213

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: gmmp.fci@gov.in

क्र. एसएंडसी/13/एचटीसी/एनआईटी/2026/10 दिनांक: 14.04.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश क्षेत्र में जोखिम एवं खर्च पर नियमित हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

आम सूचना

श्रीमती विमला बाई पत्नी श्री बहादुर सिंह गुर्जर के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पति भूखण्ड, स्थित पोरसा रोड, ग्राम गोरमी, प.ह.नं.21, तहसील गोरमी एवं जिला भिण्ड में है जो नगर पंचायत गोरमी वार्ड क्र .04 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र .2916 ग्राम गोरमी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-सम्पति मुकेश, पश्चिम में-सम्पति जहान सिंह, उत्तर में-पोरसा रोड एवं दक्षिण में-स्कूल है। उक्त सम्पति एवं संलग्न अन्य सम्पति पूर्व में श्रीमती अफसरी बाई पत्नी श्री पीर मोहम्मद द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र .1365 दिनांक 23 .01 .1995 से क्रय की गई। श्रीमती अफसरी बाई द्वारा सम्पति 2250 वर्गफुट एरिया श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी श्री रामविलास ओझा को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र .586 दिनांक 19 .06 .2009 से विक्रय की गई। श्रीमती मुन्नीबाई द्वारा उक्त सम्पति श्रीमती विमला बाई पत्नी श्री बहादुर सिंह गुर्जर को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र .एमपी09602023ए11532951 दिनांक 28 .02 .2023 से विक्रय की गई। उक्त सम्पति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेखों दिनांक 23. 01.1995 एवं दिनांक 19 .06 .2009 की मूलप्रतियां गुम हो गई है। श्रीमती विमला बाई द्वारा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मणप्पुरम होम फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेखों दिनांक 23 .01 .1995 एवं दिनांक 19 .06 .2009 की मूलप्रतियां प्राप्त हो तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक

नीरज जैन, एडवोकेट

कार्या .-भवन क्र .52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म .प्र .), मो .नं .98276-72710

आम सूचना

श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री द्वारिका प्रसाद नामदेव, श्रीमती गुड्डी उर्फ रेखा राजौरिया पुत्री श्री द्वारिका प्रसाद नामदेव पत्नी श्री शैलेन्द्र राजौरिया एवं श्रीमती ज्योति नामदेव पुत्री श्री द्वारिका प्रसाद नामदेव पत्नी श्री अभिषेक नामदेव के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पति म्युनिसिपल भवन क्र . 302, स्थित ग्राम बुजुर्ग, रा.नि.मं. डबरा, विकासखण्ड डबरा, तहसील डबरा व जिला ग्वालियर में है जो नगर पालिका डबरा वार्ड क्र .27 में स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में भूखण्ड श्री आदिराम, पश्चिम में भूखण्ड जाटव, उत्तर में गली एवं दक्षिण में गंदा नाला है। उक्त सम्पति पूर्व में श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री बाबूराम पोरवाल द्वारा श्री द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री पन्नालाल सूर्यवंशी को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र .2552 दिनांक 18 .08 .1982 से विक्रय की गई। श्री द्वारिका प्रसाद का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री द्वारिका प्रसाद नामदेव, श्रीमती गुड्डी उर्फ रेखा राजौरिया पुत्री श्री द्वारिका प्रसाद नामदेव पत्नी श्री शैलेन्द्र राजौरिया एवं श्रीमती ज्योति नामदेव पुत्री श्री द्वारिका प्रसाद नामदेव पत्नी श्री अभिषेक नामदेव उनकी सम्पति के मालिक हुये। उक्त सम्पति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 18 .08 .1982 की मूलप्रति के साथ संलग्न आर .आर .रसीद गुम हो गई हैं। श्रीमती शकुन्तला देवी, श्रीमती गुड्डी उर्फ रेखा राजौरिया एवं श्रीमती ज्योति नामदेव द्वारा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान टायगर होम फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 18 .08 .1982 की मूलप्रति के साथ संलग्न आर .आर .रसीद की मूलप्रति प्राप्त हों तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें एवं जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम, निकाय अथवा श्री द्वारिका प्रसाद के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक

नीरज जैन, एडवोकेट

कार्या .-भवन क्र .52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म .प्र .), मो .नं .98276-72710

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती मनू राजपूत पत्नी श्री नीलेश सिंह राजपूत ने उक्त अचल सम्पति प्लॉट क्रमांक 57 का भाग जो कि छोटे बाबा की बस्ती, ग्राम गिरवाई वार्ड क्रमांक 65 जिला ग्वालियर जो कि सर्वे क्र . 1049/2/2 का भाग 600 वर्गफुट है, उक्त संपति को क्रय करने बावत मेरी पक्षकारा श्रीमती मनू राजपूत पत्नी श्री नीलेश राजपूत ने विक्रता श्रीमती मंती बाई कुशवाह पत्नी श्री राम बाबू कुशवाह पुत्री श्री गंगाराम से अनुबंध करना तय किया है। मेरे पक्षकार के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नप्रकार है :- पूर्व में-प्लॉट कमांक 57 का भाग, पश्चिम में-प्लॉट क्रमांक 58, उत्तर में-रास्ता 20 फुट, दक्षिण में - प्लॉट क्रमांक 55 जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है। लेकिन मेरी पक्षकार के विक्रेता श्रीमती मंती बाई कुशवाह पत्नी श्री राम बाबू कुशवाह पुत्री श्री गंगाराम की पुश्तैनी अचल संपत्ति भूमि सर्वे क्रमांक 1049/2/2 भूमि को विक्रीत किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंस या सह भूस्वामी श्रीमती गीता कुशवाह, बैजन्ती कुशवाह पुत्रीगण श्री गंगाराम, श्रीराकेश कुशवाह, श्री कल्लू कुशवाह, श्री रामेश कुशवाह, श्री जसवंत कुशवाह पुत्रगण श्री गंगाराम, श्रीमती गुड्डी कुशवाह, पत्नी स्व. श्री सुरेश कुशवाह, श्री मुकेश कुशवाह पुत्र स्व. श्री सुरेश कुशवाह, इत्यादि को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 15 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद काई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरी पक्षकारा अचल संपत्ति प्लॉट क्रमांक 57 का भाग का कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा जना स्मॉल फायनेंस बैंक गस्त का ताजीया जे.के. प्लाजा लश्कर ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सूचित हो।

दिनांक- 13 .04 .2026

स्थान- ग्वालियर

भवदीय

संजय बाकलीवाल एडवोकेट

चिक संतर मुरार ग्वालियर

मो .9300981954

In The Court Of Ist Additional District Judge, Begumganj, District Court, Raisen

Presiding Officer : श्रीमती सविता ओगले

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेत)

(RCSA/0000058/2024)

श्रीमती रजनी श्रीवास्तव ...वादी

Vs

अशोक श्रीवास्तव ...प्रतिवादी

Process Id-/2026

पेशी दिनांक:- 18/04/2026

प्रेषिती-

(1) बाबूलाल पिता रामप्रसाद श्रीवास्तव पता- निवासी मार्फत अभिषेक श्रीवास्तव अंजली धाम कालोनी सेकडाखेडी सीहोर जिला सीहोर म.प्र.

(2) श्रीमती रंजना अवस्थी पिता बाबूलाल श्रीवास्तव पत्नि सूर्यकांत पता- निवासी राजाभोज फेज गांधी नगर भोपाल म.प्र.

(3) रश्मि श्रीवास्तव पिता बाबूलाल पता- निवासी 402 समाधिया शिवम काम्पलेक्स ग्वालियर म.प्र

यह कि प्रार्थी श्रीमती रजनी श्रीवास्तव ने आपके विरूद्ध वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें.

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा. साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें.

यह आज तारीख 10 अप्रैल 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है.

न्यायाधीश
श्रीमती सविता ओगले
प्रथम जिला न्यायाधीश
बेगमगंज, जिला रायसेन

सील

यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा.

दिगम्बर जैन पाठशाला में परीक्षाफल वितरण समारोह आयोजित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 13 अप्रैल. श्री 1008 धर्मनाथ दिगम्बर जैन पाठशाला न्यू कॉलोनी बिरला नगर में रविवार को वार्षिक परीक्षाफल वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों एवं अभिभावकों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। बच्चों ने पाठशाला मे उत्कृष्ठ प्रदर्शन करते हुए 92 प्रतिशत तक अंक प्राप्त किए।

पाठशाला मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं भारतीय श्रवण संस्कृत परीक्षा बोर्ड, सांगानेर से संचालित होती है, जिसके माध्यम से बच्चों को व्यवस्थित रूप से धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इस अवसर पर पाठशाला के संचालक एवं शिक्षकों ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पाठशाला में केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि नैतिक मूल्य, अनुशासन, संस्कार एवं व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जैन धर्म के सिद्धांत जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह एवं संयम को बच्चों के जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है। इस मौके पर सुरेश चंद जैन, रितु जैन, अमित जैन, अभिषेक जैन, राधा जैन, अभिषेक जैन, निशा जैन, अलका जैन, राधा जैन, अनुष्का जैन सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

विकास एवं सुधार पर निगमायुक्त ने की चर्चा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 13 अप्रैल. नगरीय निकायों के बेहतर राजस्व प्रबंधन अधोसंरचना व अन्य विषयों पर किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर शहरी नियोजन, विकास एवं सुधार के संबंध में दिनांक 16 एवं 17 अप्रैल 2026 को भोपाल में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। जिसको लेकर निगमायुक्त श्री संघ प्रिय ने बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त श्री टी. प्रतीक राव, अपर आयुक्त वित्त श्रीमती रजनी शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी नियोजन एवं विकास सुधार के लिए शहरी राज्य संवर्धन, राजस्व वृद्धि के उपाय, गैर कर राजस्व, वित्तीय दक्षता भूमि मुद्रीकरण, क्षेत्रीय अधोसंरचना योजना, इन्नोवेटिव इंजीनियरिंग सोल्यूशन, सड़क, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधान मंत्री आवास योजना, अग्नि अभियांत्रिकी, सतत विकास आधारित निर्माण, अर्बन चैलेंज फंड सहित बिंदुओं पर

CHANGE OF NAME

I, SATO ORAON (Existing Name of mother as per NOK) is legally mother of no. 4293675M Rank SEP name Laxman Oraon presently residing at Vill - DHANAMUNGI, PO-BALSOTA, PS-BHANDRA, Distt-LOHARDAGA, STATE-JHARKHAND, PIN-835301(Address) inform that in my son's service record my name is entered SATU ORAON and date of birth is 05/01/1979 which is wrong, In all documents my name is SATO ORAON and date of birth is 01/01/1979 including my Aadhar card no. 4841 4988 3406 In future, my name should be depicted as SATO ORAON and DOB 01/01/1979 in all documents and service records via affidavit no. BX 605937 Date- 13/04/2026

कुशवाह के निधन पर दी गई श्रद्धांजलि

ग्वालियर 11 अप्रैल. फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ग्वालियर शाखा में कार्यकारिणी समिति सदस्यों की श्रद्धांजलि सभा रविवार को आयोजित की गई। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रोग्राम ऑफिसर अच्छेंद्र सिंह कुशवाह के पिता मोहन सिंह कुशवाह के आकस्मिक निधन पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष शशि सिंह विसेन, डॉ. डी. एस. चंदेल, भूपेंद्र सिंह तोमर, कृति सिंह, आकृति परमार, डॉ. वीणा प्रधान, गौरव संतवानी और जनरल मैनेजर नीलम दीक्षित ने शोक व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पति क्षेत्र क्रमांक 01 वार्ड क्रमांक 05 भवन क्रमांक..... स्थान ब्लॉक - A, आनंद नगर में स्थित है जो कि गर्व बग्गा / अशोक बग्गा के नाम से नगर निगम में आई डी क्रमांक 9000221580 पर दर्ज है ।/ नहीं है जिसका क्षेत्रफल 311 वर्ग फुट है उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP21/GR 17402026A 100318320 दिनांक 19/03/2026 द्वारा क्रय / उत्तराधिकार से प्राप्त / वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्तिकर मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्षक्र.202,205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 13-04-2026
आवेदक का नाम/पता
उर्मिला सेंगर / अजमेर सिंह
ग्राम - ब्लॉक - A, आनंद नगर,ग्वालियर, मध्यप्रदेश

आम सूचना

सर्वसाधारण व खास को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मोहिनी पत्नी श्री ब्रजमोहन यादव, निवासी 57, मोहनपुर, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) ने भावी बिक्रेता करन सिंह पुत्र श्री कल्ला उर्फ कल्याण सिंह के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के एक प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट होकर जो सर्वे क्रमांक 1349/1 का भाग, ग्राम बड़ागाँव, न. नि. वार्ड 61, चित्रांश कॉलोनी, परगना एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित होकर जिसके पूर्व में भूमि करनसिंह, पश्चिम में प्लॉट किरनदेवी व चन्द्रवती, उत्तर में प्लॉट दिनेश यादव व दक्षिण में रोड है, से क्रय करने तदोपरांत् निर्माण करने हेतु मेरे पक्षकार वित्तीय संस्था आधार हाउसिंग फायनेंस लिमि. के यहां ऋण हेतु आवेदन किया है जिस पर ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। भावी बिक्रेता श्री करन सिंह के अतिरिक्त उक्त सर्वे क्रमांक 1349/1 ग्राम बड़ागाँव के अन्य सहस्वामी है। किन्तु भावी बिक्रेता अपने हिस्से की संपत्ति में से उक्त प्लॉट आवेदिका को बिक्रय करने जा रहा है। चूंकि उक्त संपत्ति पर ऋण देना प्रस्तावित है इसलिये यदि उक्त सर्वे क्रमांक 1349/1 ग्राम बड़ागाँव के सहस्वामियों को तथा/अथवा भी किसी अन्य व्यक्ति, बैंक, संस्था, किसी निकाय आदि को उपरोक्त उपरोक्त वर्णित संपत्ति को बिक्रय किये जाने एवं बंधक किये जाने में कोई या कैसी भी आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर मय दस्तावेजी प्रमाण के नीचे उल्लेखित पते पर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् कोई भी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।

इतिदिनांक 13.04.2026

प्रेषक गजेन्द्र कुमार भार्गव (एडवोकेट)

कार्या./नि.- हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
कार्या. समय : 7:00 से 9:00 (सुबह एवं शाम)
मो. 9301122311

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 19 वार्ड क्रं. 44, भवन क्रं.866, स्थान: चिटनिस की गोठ पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती कमल प्रसाद अम्ब / प्रसाद के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000336637 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 611 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. **507** दिनांक 19 .05 .2003 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र महाराज बाड़ा औषधालय क्षे.क्रं. 19 पर दिनांक 09 .04 .2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 82/2011/25301/25390/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता

**कमलेश